



Neutral Citation No. 2026:AHC:60602

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2055 वर्ष 2026

तुफैल चौधरी:आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य:विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद सलीम

विपक्षी दल के अधिवक्ता : जी.ए.

कोर्ट संख्या-9

माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन के माध्यम से, आवेदक सत्र परीक्षण संख्या 557/2024, अपराध संख्या 552/2023, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद "एन.डी.पी.एस. एक्ट" कहा जाएगा) की धारा 8/22/29/37/60 के तहत, थाना-कौशाम्बी, जिला-गाजियाबाद में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग कर रहा है।
3. यह आवेदक का दूसरा जमानत आवेदन है। पहला जमानत आवेदन, जो कि क्रिमिनल मिसलेनियस जमानत आवेदन संख्या 5444/2024 था, 23.07.2024 को खारिज कर दिया गया था और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री एम.के. उपाध्याय को सुना गया।

सीआर.पी.सी. की धारा 439 के तहत इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक जो अपराध संख्या 552/2023, धारा 8/22/29/37/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना-कौशाम्बी, जिला-गाजियाबाद में संलिप्त है, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग करता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट चार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। आवेदक के अधिवक्ता के अनुसार, आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, जो कि पंजीकरण संख्या यू.पी. 78 सी.टी. 7589 वाले कथित कैरियर टाटा कैंटर ट्रक का चालक है और उसका उसमें लदे माल से कोई लेना-देना नहीं है, और वह माल के वास्तविक प्रेषक का है। उनके अनुसार, माल गुवाहाटी में वितरित किया जाना था और खेप मैसर्स कर्ल-ऑन एंटरप्राइजेज लिमिटेड

की है। उन्होंने आगे ई-वे बिल, चालान और लोडिंग स्लिप पर भरोसा किया है। उनके अनुसार, एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 42, 50, 52-ए का अनुपालन नहीं किया गया है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि आवेदक 29.11.2023 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा चलाए जा रहे वाहन से प्रतिबंधित फेनसेडिल कफ सिरप की 15,000 बोतलें बरामद की गई थीं। इसके अलावा, आवेदक के खिलाफ 27.02.2024 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मैंने पक्षों के संबंधित अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है। ई-वे बिल, चालान और लोडिंग स्लिप के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि क्रिस्टल लाइन शीट को हरिद्वार से गुवाहाटी ले जाया जाना था और डाउनलोड किया गया ई-वे बिल उक्त उत्पाद के लिए था। चालान स्पष्ट रूप से क्रिस्टल लाइन शीट की मात्रा को प्रकट करता है, लेकिन कैंटर और साथ चल रहे वाहन से बड़ी मात्रा में फेनसेडिल कफ सिरप की बरामदगी की गई है। कैंटर से बरामद बोतलों की कुल संख्या 15,000 है। यह अत्यंत असंभव है कि पुलिस कैंटर में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिबंधित वस्तुएं प्लांट कर सकती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ट्रक का चालक था और टाटा कैंटर में ले जाई जा रही वस्तुओं के सचेत कब्जे में था। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माल ई-वे बिल के अनुसार ले जाया जा रहा था, विचाराधीन वाहन से हुई भारी बरामदगी से झुठलाया जाता है। यह न्यायालय पाता है कि जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

हालांकि, मामले के तथ्यों को देखते हुए कि आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, निचली अदालत मुकदमे में तेजी लाने और एक वर्ष के भीतर इसे समाप्त करने का हर संभव प्रयास करेगी।"

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक दो वर्ष से अधिक समय से जेल में है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वैगन-आर कार में बैठा व्यक्ति, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह-अभियुक्त बनाया गया था और जो विचाराधीन वाहन के साथ था, उसे जमानत दे दी गई है। वह आगे तर्क देते हैं कि आवेदक केवल एक चालक है, और उसे जमानत दी जानी चाहिए।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि विचाराधीन वाहन से प्रतिबंधित फेनसेडिल कफ सिरप की 15,000 बोतलें बरामद की गई थीं। उनके अनुसार, आवेदक रचनात्मक कब्जे में था।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।
7. दिए गए तर्कों के अलावा, आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई नई परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं। उन्हीं तथ्यों पर दूसरे जमानत आवेदन में नए तर्कों पर विचार किए जाने का प्रश्न जो आरोपी के पास तब उपलब्ध थे जब उसका पिछला जमानत आवेदन पेश किया गया और खारिज कर दिया गया था, इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सत्य पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1998 (37) एसीसी 287 के मामले में विचार के लिए आया था। खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य बनाम बुद्धिकोटा सुब्बा

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राव, एआईआर 1989 एससी 2292 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार धारित किया:-

"4. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उन मामलों का अध्ययन किया है जिनका उल्लेख विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष और हमारे समक्ष भी किया गया था। हमारा विचार है कि यह बिंदु महाराष्ट्र राज्य बनाम बुद्धिकोटा सुब्बा राव, एआईआर 1989 एससी 2292 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उस समय जमानत देने को अस्वीकृत करते हुए, जब उसी न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कई जमानत आवेदनों को केवल दो दिन पहले खारिज कर दिया गया था, इस प्रश्न से संबंधित विभिन्न अन्य पहलुओं पर भी विचार किया कि किन परिस्थितियों में जमानत के आवेदन पर तब भी विचार किया जाना चाहिए जब जमानत का पिछला आवेदन खारिज कर दिया गया हो। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 6 और 7 के प्रासंगिक अंशों को उद्धृत करना उचित होगा:-

6. ... प्रश्न तब यह है कि क्या प्रतिवादी को उसके निवास पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन में योग अभ्यास की सुविधा के लिए जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य था, भले ही निगरानी की शर्तों के तहत, जबकि पुराणिक, न्यायमूर्ति ने केवल दो दिन पहले ही कमोबेश वैसी ही प्रार्थना को खारिज कर दिया था? क्या इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर देना चाहिए, भले ही वह संतुष्ट हो कि अधिकार क्षेत्र का गलत तरीके से प्रयोग किया गया था?

7. हमारी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्रता का स्थान गौरवपूर्ण है। और स्वतंत्रता के मूल्य को हमारे संविधान के निर्माताओं से बेहतर कौन जानता था जिनकी स्वतंत्रता को औपनिवेशिक शासकों द्वारा कठोर कानूनों के तहत समय-समय पर कम किया गया था। इसीलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, ऐसा ही एक प्रक्रियात्मक कानून है। कानून असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की स्वतंत्रता में कटौती की अनुमति देता है। अनुच्छेद 22 समाज या राष्ट्र के विरुद्ध अपराध करने के आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की स्थिति में अधिकारियों पर कुछ दायित्व डालता है। किसी अपराध या अपराधों के आरोप में विचाराधीन कैदी के मामलों में न्यायालय को आम तौर पर यह तय करना होता है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए या जेल भेजा जाए। यह निर्णय, मुख्य रूप से गैर-जमानती मामलों में, अपराध की प्रकृति, उन परिस्थितियों जिनमें वह किया गया था, आरोपी की पृष्ठभूमि, उसके जमानत से भागने की संभावना, उसकी रिहाई का अभियोजन पक्ष के गवाहों पर प्रभाव, समाज पर इसके प्रभाव और प्रतिशोध की संभावना आदि को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा किए गए क्रमिक जमानत आवेदनों को कथित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया गया था। ऐसा ही एक आवेदन संख्या 36/1989 स्वयं सुरेश, जे. द्वारा खारिज कर दिया गया था। बेपरवाह होकर प्रतिवादी जमानत के लिए क्रमिक आवेदन करता रहा। ऐसे सभी लंबित जमानत आवेदनों को पुराणिक, जे. द्वारा 6 जून 1989 को एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। दुर्भाग्य से पुराणिक, जे. को एक और जमानत आवेदन संख्या 995/89 के लंबित होने की जानकारी नहीं थी, अन्यथा उन्होंने उसी सामान्य आदेश द्वारा उसका निपटारा कर दिया होता। पुराणिक जे. के आदेश की स्याही सूखने से पहले ही, इसे विवादित आदेश द्वारा उलट दिया गया। ऐसा नहीं है कि विवादित आदेश पारित करने वाले न्यायालय को पुराणिक, जे. के निर्णय की जानकारी नहीं थी; वास्तव में विवादित आदेश में उसका संदर्भ है। क्या नए तथ्यों और परिवर्तित परिस्थितियों की अनुपस्थिति में ऐसा किया जा सकता है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्रिमिनल एप्लीकेशन संख्या 375/1989 में प्रतिवादी ने वैसी ही प्रार्थना की थी जैसी कि उसमें की गई प्रार्थनाओं में से एक (पहले उद्धृत) से स्पष्ट है। एक बार जब वह आवेदन खारिज कर दिया गया था,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तो वैसी ही प्रार्थना स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह वस्तुतः तथ्य की स्थिति में बदलाव के बिना पिछले निर्णय को उलट देना है। और जब हम बदलाव की बात करते हैं, तो हमारा मतलब एक ठोस बदलाव से है जिसका पिछले निर्णय पर सीधा प्रभाव पड़ता है, न कि केवल कॉस्मेटिक बदलाव, जिनका बहुत कम या कोई महत्व नहीं है। दोनों आदेशों के बीच केवल दो दिनों का अंतर था और किसी का भी यह कहना नहीं है कि इन दो दिनों के दौरान ऐसे भारी बदलाव हुए थे जिनसे प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करना आवश्यक हो गया था। न्यायिक अनुशासन, औचित्य और सौहार्द की मांग थी कि किसी भी ठोस तथ्य-स्थिति में बदलाव के अभाव में पुराणिक, जे. द्वारा केवल कुछ दिन पहले दिए गए आदेश सहित सभी पिछले आदेशों को उलटते हुए विवादित आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसे मामलों में संयम और सावधानी के साथ कार्य करना आवश्यक है ताकि न्यायालय की प्रक्रिया का किसी मुकदमेबाज द्वारा दुरुपयोग न किया जाए और यह धारणा न बने कि मुकदमेबाज ने या तो सफलतापूर्वक एक न्यायाधीश से बचाव किया है या अपनी पसंद का आदेश प्राप्त करने के लिए दूसरे का चयन किया है, जो अब तक उसे नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में उचित मार्ग, हमारे विचार में, यह निर्देश देना है कि मामले को उसी विद्वान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए जिसने पिछले आवेदनों का निपटारा किया था। ऐसी प्रथा या परंपरा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकेगी क्योंकि यह इस धारणा को बनने से रोकेगी कि कोई मुकदमेबाज अपनी पसंद का आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय से बच रहा है या चयन कर रहा है। ऐसी प्रथा परिस्थितियों में बदलाव के बिना क्रमिक जमानत आवेदन दाखिल करने को भी हतोत्साहित करेगी। यदि ऐसी प्रथा अपनाई जाती है तो यह न्यायिक अनुशासन के अनुकूल होगी और न्यायालय का समय भी बचाएगी क्योंकि तथ्यों से परिचित न्यायाधीश बाद के आवेदन का शीघ्रता से निपटारा करने में सक्षम होगा। इससे निरंतरता भी आएगी। इस दृष्टिकोण में हमें शाहजाद हसन खान बनाम इशतियाक हसन खान (1987) 2 एससीसी 684 के फैसले के पैराग्राफ 5 में इस न्यायालय की टिप्पणियों से बल मिलता है। उपरोक्त कारणों से हमारा विचार है कि तथ्य-स्थिति में ठोस बदलाव के अभाव में विवादित आदेश पारित करने का कोई

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

औचित्य नहीं था। इसी बात ने शेट्टी, न्यायमूर्ति को विवादित आदेश को 'सामान्य से थोड़ा हटकर' बताने के लिए प्रेरित किया। न्यायिक संयम की मांग है कि हम और कुछ न कहें।

5. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरोक्त अंश को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालयों द्वारा विचार के लिए क्रमिक जमानत आवेदन पेश करने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से देखा कि सुझाई गई प्रथा परिस्थितियों में बदलाव के बिना क्रमिक जमानत आवेदन दाखिल करने को भी हतोत्साहित करेगी। यह अवलोकन स्पष्ट करता है कि केवल तभी जब पिछले जमानत आवेदन की अस्वीकृति के बाद कुछ नए तथ्य और परिस्थितियाँ विकसित हुई हों, तभी दूसरे जमानत आवेदन पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश जिन्होंने इस मामले को खंडपीठ द्वारा विचार के लिए संदर्भित किया था, उन्होंने अपने संदर्भ आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की थीं:-

मेरे विचार में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश अंतरिम आदेशों में भी कुछ हद तक अंतिमता बनाए रखने के उद्देश्य से है और इसे बार-बार बदलाव के लिए खुला नहीं रखना है जब तक कि तथ्य-स्थिति में ठोस बदलाव का संकेत न दिया गया हो। अन्यथा उच्च न्यायालयों सहित हमारे न्यायालयों में जमानत के लिए तुच्छ बार-बार की प्रार्थनाओं की बाढ़ आ जाएगी क्योंकि कानूनी विशेषज्ञों द्वारा हमेशा उन्हीं तथ्यों पर नए तर्क और नए मोड़ दिए जाएंगे। इसलिए, यह आवश्यक है कि एक उच्च पीठ द्वारा इस प्रश्न पर निर्णय दिया जाए कि क्या किसी न्यायालय के लिए उन्हीं तथ्यों पर नए तर्कों की अनुमति देना खुला होगा जब एक पूर्व प्रार्थना खारिज कर दी गई थी, भले ही बाद के आवेदनों में बताए गए बिंदुओं पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया था। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णतः सहमत हैं और सहमत हैं कि एक औपचारिक प्रार्थना खारिज होने के बाद उन्हीं तथ्यों पर दूसरा जमानत आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही बाद में दूसरे जमानत आवेदनों में बताए गए बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया था।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता गामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1986 (23) एसीसी 339 के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पुरजोर समर्थन करना चाहते थे। हम उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। यह असामान्य नहीं है बल्कि लगभग एक स्वीकृत मानदंड है कि उच्च न्यायालय जमानत आवेदन को खारिज करते समय ऐसी अस्वीकृति के कारण नहीं बताते हैं। कारण आम तौर पर इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि टिप्पणियां लंबित मामलों में परीक्षण को प्रभावित करती हैं। इसलिए, गामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश की निम्नलिखित टिप्पणियां सही कानून निर्धारित नहीं करती हैं। 'भले ही यह दूसरा या तीसरा जमानत आवेदन हो, लेकिन जब तक पहले जमानत आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट न हो कि बाद के जमानत आवेदनों में बताए गए बिंदु पर भी विचार किया गया था और उसे खारिज कर दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे या तीसरे जमानत आवेदन में बताए गए बिंदु को केवल निहितार्थ से पहले जमानत आवेदन में माना गया माना जाएगा।'

हम तदनुसार गामा के मामले (उपरोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को खारिज करते हैं।"

8. उपरोक्त के आलोक में, दूसरा जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

मार्च 24, 2026

(रोहित रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।